# न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
## जिला ग्वालियर

प्र. क्र. निगरानी / अध्यक्ष / /2014 निगरानी R 2522-PBR/14

श्री आदेश श्रीवास्तव
द्वारा आज दि. 21-8-14 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-8-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विक्रम पुत्र प्रदीपसिंह नावा0संरपरस्त मॉ अल्का पत्नी श्री प्रदीप निवासी 161 सी0पी0कॉलोनी मुरार जिला ग्वालियर म0प्र0 ....प्रार्थी

बनाम

1. पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा जयेन्द्रगंज द्वारा शाखा प्रबंधक
2. म0प्र0शासन द्वारा नायब तहसीलदार

.....प्रतिप्रार्थी

**म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अपर आयुक्त संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 20/2011-12 में पारित आदेश दिनांकी 10.06.2014 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी**

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, प्रार्थी के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य का भवन सी0पी0कॉलोनी मुरार स्थित जिला ग्वालियर में है उक्त भवन प्रार्थी को उसकी दादी श्रीमती सुलोचना रावत के स्वामित्व का था प्रार्थी की दादी श्रीमती सुलोचना रावत द्वारा प्रार्थी के हक में जर्ये वसीयतनामा दिनांक 31.12.1983 के द्वारा प्रार्थी को प्रदाय की गई थी इस प्रकार प्रार्थी उक्त संपत्ति का श्रीमती सुलोचना रावत की मृत्यु के पश्चात एक मात्र भवन स्वामी हो गया था परन्तु प्रार्थी अपनी दादी की मृत्यु के पश्चात उक्त संपत्ति पर अपना नामांतरण न करा सका इसी बीच उक्त संपत्ति पर प्रदीप रावत द्वारा नगर निगम मे अपना टैक्स के आधार पर नाम अंकित कराते हुये उक्त संपत्ति अपने नाम पर नगर निगम मे दर्ज करा ली । इस प्रकार प्रदीप रावत द्वारा नगर निगम कर्मचारियों से सांठ गांठ कर जो अपना इन्द्राज करा लिया था उक्त इन्द्राज के आधार पर उक्त संपत्ति को अपने स्वत्व की संपत्ति मानते हुये प्रतिप्रार्थी कमांक-1 की बैंक से भवननिर्माण हेतु 5,00,000/-का ऋण प्राप्त किया प्रतिप्रार्थी कमांक-1 द्वारा प्रदीप रावत को ऋण दिये जाने से पूर्व मौके पर कोई जॉच नही की क्योकि बैंक द्वारा ऋण हमेशा स्वत्व के आधार पर दिया जाता है उक्त भवन पर प्रदीप रावत को कोई स्वत्व प्राप्त नही थे इसलिये उन्हें ऋण प्राप्त नही दिया जा सकता है परन्तु बैंक कर्मचारियों द्वारा प्रदीप रावत से मिलकर उक्त भवन को बंधक रखते हुये प्रदीप रावत को 5,00,000 का ऋण स्वीकृत कर दिया इस तथ्य की जानकारी प्रार्थी को नही हो पाई प्रदीप रावत द्वारा बैंक द्वारा प्राप्त किये गये ऋण का भुगतान होने के कारण उक्त खाता एन0पी0ए0 हो गया और बैंक द्वारा प्रार्थी को डिफोल्टर मानते हुये उक्त ऋण की वसूली बावत् बैंक को म0प्र0भूराजस्व

कमशः.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2522–पीबीआर/14 जिला ग्वालियर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 13–11–2014 | आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 10–6–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन सम्पत्ति आवेदक के पिता प्रदीप सिंह के नाम नगर निगम में दर्ज है, और प्रदीप रावत को ही बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है तथा आर.आर.सी. भी प्रदीप रावत के नाम जारी की गई है। इस प्रकार बैंक द्वारा जारी आर.आर.सी. में किसी प्रकार की कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की निगरानी निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि प्रश्नाधीन संपत्ति आवेदक के नाम दर्ज है, और उसके परिवार द्वारा ऋण लिया गया है, जिसकी वसूली आवेदक से नहीं की जा सकती है, क्योंकि उपरोक्त तर्क के समर्थन में आवेदक की ओर से कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन संपत्ति प्रदीप रावत के नाम दर्ज नहीं होकर आवेदक के नाम दर्ज है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क भी मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि आवेदक को बिना सुनवाई का अवसर दिये उसकी सम्पत्ति को नीलाम किया जा रहा है, क्योंकि इस संबंध में भी अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसील न्यायालय में आवेदक अपने अभिभाषक के साथ उपस्थित हुआ है, और उसके द्वारा पक्ष समर्थन भी किया गया है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की की जाती है ।<br><br>(स्वदीप सिंह)<br>अध्यक्ष | |

माथा को डिफाल्टर मानते हुये उक्त ऋण की वसूली बावत् बैंक को म0प्र0भूराजस्व

क्रमश.....2